



मध्य प्रदेश राज्य
के
वन कार्यालयों/वनमण्डलों की कार्यप्रणाली का
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
वर्ष 2006-07

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्राक्कथन

वन विभाग, म.प्र. शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग है, एवं इसके आहरण एवं संवितरण अधिकारी इसके राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने दायित्व का उचित ढंग से निर्वहन कर सकें इसके लिए शासन ने संहिताएँ, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं। अतएव वन विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की कार्य प्रणाली एवं नियमों/प्रक्रियाओं के पालन में पाई गई कमियों पर इस कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाता है ।

वन विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर आधारित, वर्ष 2006-07 का यह वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन दो भागों में तैयार किया गया है। भाग-एक में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रेषित लेखाओं/अभिलेखों की जाँच के दौरान पाई गई कमियाँ/त्रुटियाँ/अनियमितताएँ दर्शाई गई हैं एवं भाग-दो में वन कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान इनकी कार्य प्रणाली से संबंधित संज्ञान में आई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को दर्शाया गया है।

वन विभाग की कार्य प्रणाली में नियमों/विनियमों/प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन करने में और सुधारों की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि यह समीक्षा प्रतिवेदन उन्हें अनियमितताओं से बचने को प्रेरित करने में सहायक होगा।

स्थान :- ग्वालियर
दिनांक :- 26.12.2007

महालेखाकार

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम
मध्य प्रदेश ग्वालियर

वन विभाग की कार्य प्रणाली की वार्षिक समीक्षा वर्ष 2006–07

–: प्रस्तावना :-

वन विभाग की संरचना अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक विभाग प्रमुख है, जिसके अधीन वर्ष 2006–07 में भोपाल में स्वंत्रत इकाई के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों के कार्यालय थे :-

1. मुख्य वन संरक्षक (विकास)
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्य प्राणी)
3. मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन)
4. परियोजना संचालक (वानिकी परियोजना)
5. वनमण्डलाधिकारी, राजधानी परियोजना
6. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अनुसंधान/विस्तार एवं लोक वानिकी)
7. मुख्य वनसंरक्षक (कार्य आयोजना)

उक्त कार्यालयों के अतिरिक्त 16 वनवृत्त (सामान्य) के कार्यालय थे, जिनके अधीन निम्नानुसार वन कार्यालय रहे –

1.	वनमण्डल (क्षेत्रीय)	59
2.	वनमण्डल (उत्पादन)	16
3.	वनमण्डल (सामाजिक वानिकी)	12
4.	वनमण्डल (कार्य आयोजना)	01
5.	वनवृत्त (कार्य आयोजना)	16
6.	वनवृत्त (अनुसंधान एवं विस्तार)	07
7.	वनवृत्त (वन्यप्राणी)	02
8.	राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण	12
9.	वन विद्यालय/महाविद्यालय	05
10.	मुख्य वनसंरक्षक (कार्य आयोजना)	01
		—
	योग	131
		—

इस प्रकार कुल (1+7+16+131) 155 वन कार्यालय कार्यरत रहे।

म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 378/आर 847/चार/ब-1/ 2006 दिनांक 07.04.06 द्वारा वन विभाग के निम्नलिखित उद्देश्य शीर्षों से संबंधित आहरणों को दिनांक 1 जुलाई 2006 से कोषालय के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया:—

11. वेतन
21. यात्रा भत्ता
22. कार्यालय व्यय
33. वाहनों का अनुरक्षण
35. विज्ञापन एवं प्रचार
41. छात्र वृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ
2071. पेंशन (पूर्वानुमानित एवं अनंतिम पेंशन और सेवा निवृत्ति भुगतान)
8009. सामान्य भविष्य निधि
8011. शासकीय कर्मचारी बीमा (परिवार कल्याण निधि)

जिसके परिणाम स्वरूप समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा माह जुलाई 2006 से उक्त शीर्षान्तर्गत लेन-देन कोषालय के माध्यम से किया जा रहा है। मात्र दो आहरण संवितरण अधिकारियों सामान्य वन मंडल औबेदुल्लागंज एवं वन विद्यालय अमरकंटक को वर्ष 2006-07 के लिये उक्त शीर्षान्तर्गत देयकों के भुगतान सीधे बैंक के माध्यम से (पूर्व की भांति) करने की अनुमति म.प्र. शासन वित्त विभाग के आदेश पृ.क्र. /620/आर-681/चार/ब- 1 /06 दिनांक 17.07.06 द्वारा प्रदान की गई।

इस प्रकार उक्त शीर्षान्तर्गत किये गये लेन देनों का लेखा कोषालय लेखे के माध्यम से तथा इसके अतिरिक्त शीर्षान्तर्गत किये गये लेनदेनों का लेखा पूर्ववत् महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. भाग-एक (लेखा)

पूर्व वर्षों में एवं वर्ष 2006-07 में वन कार्यालयों/मण्डलों द्वारा भेजे जाने वाले मासिक लेखों में पाई गई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं/त्रुटियों, मासिक लेखा विलम्ब से प्रेषित करने तथा विभागीय आकड़ों का पुनर्मिलान न करने/विलम्ब से करने विषयक संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को समय-2 पर लेख किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त वन वृत्त स्तर पर की गई कार्यशालाओं के माध्यम से वन लेखाओं में हो रही त्रुटियों को दूर/निराकृत करने हेतु वन कार्यालयों का ध्यान आकर्षित किया गया है। यद्यपि पूर्व की अपेक्षा लेखाओं में सुधार हुआ है। तथापि अभी भी कुछ त्रुटियां पूर्ववत् की जा रही हैं। जिनमें सुधार की आवश्यकता है।

1.1 मासिक लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब ।

वन वित्तीय नियमावली के नियम 219 के अनुसार मासिक लेखे अगले माह की 12 वीं तारीख तथा माह मार्च का लेखा 18 वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए । विलम्ब की स्थिति में वन वित्तीय नियमावली के नियम 225 के अनुसार विलम्ब के कारणों से महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए । पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी कारणों सहित बिलम्ब से लेखा भेजने की सूचना अप्राप्त रही तथा महालेखाकार कार्यालय में निर्धारित तिथि तक लेखा उपलब्ध कराने में उदासीनता बरती गई ।

वर्ष 2006-07 के कुल 1860 मासिक लेखों में से 742 लेखे निर्धारित दिनांक उपरांत प्राप्त हुए जिसमें से 77 लेखे निम्नानुसार 6 दिन से 10 दिन देरी से प्राप्त हुए ।

विलम्ब अवधि	प्राप्त लेखों की संख्या
3 से 5 दिन	665
6 से 10 दिन	77
कुल योग	742

समीक्षा के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि कुछ वन कार्यालयों से कई माह के लेखे विलम्ब से प्राप्त हुए । वन कार्यालय जिनसे तीन या तीन से अधिक माहों के मासिक लेखे विलम्ब से प्राप्त हुए, के नाम "परिशिष्ट "क" में दिए गए हैं। प्रत्येक माह देरी से प्राप्त लेखों की जानकारी से मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) को अवगत कराया गया है।

1.2 विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार के आंकड़ों से मिलान।

वन वित्तीय नियमावली के नियम 235 (ब) के अनुसरण में समस्त वन वृत्तों में होने वाले वन विभाग के राजस्व एवं व्यय लेखाशीर्ष का महालेखाकार के कार्यालय में अंकित आंकड़ों का समाधान का उत्तरदायित्व वन संरक्षक का होगा । इस हेतु वे स्वयं विभागीय लेखों में दिये आंकड़े तथा महालेखाकार के कार्यालय के आंकड़ों का समाधान कराने हेतु कार्यवाही करेंगे । यह समाधान प्रतिमाह होना चाहिये "

वर्ष 2006-07 में इस विषयक उक्त नियम के प्रकाश में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गई है :-

1. विभिन्न वनवृत्त एवं उनके अधीनस्थ वन कार्यालयों ने प्रत्येक माह पुनर्मिलान न करते हुए अनेक माहों के आंकड़ों का पुनर्मिलान एक साथ किया । तीन या अधिक माह के आंकड़ों का पुनर्मिलान एक साथ करने वाले वन कार्यालयों का विवरण परिशिष्ट "ख" में दर्शाया गया है । विवरण से स्पष्ट है कि, सभी 155 वन कार्यालयों द्वारा वन वित्तीय नियमावली के उक्त नियम का उल्लंघन करते हुये प्रत्येक माह पुनर्मिलान कार्य नहीं किया गया ।
2. संबंधित वन कार्यालयों एवं बजट नियंत्रककर्ता अधिकारी को नियमानुसार पुनर्मिलान हेतु निरंतर लेख किया गया । इस कार्यालय के अर्घ शा.पत्र क्र.व.सं. 1/मा.ले./2006-07/947 दिनांक 19.03.07 के माध्यम से उनके अधीनस्थ वन कार्यालयों के लंबित अंक मिलान कार्य को दिनांक 31.05.07 तक पूर्ण कराने हेतु सूचित किये जाने के उपरान्त भी वर्ष 2006-07 में 10 वन कार्यालयों द्वारा पुनर्मिलान कार्य पूर्ण नहीं किया गया । विवरण परिशिष्ट "ग" में दर्शाया गया है ।

1.3 विभाग द्वारा लेखा शीर्षों के अपूर्ण वर्गीकरण के अंतर्गत बजट आवंटित किया जाना ।

वर्ष 2006-07 के लिए विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ वन कार्यालयों को जारी बजट आवंटन पत्रों का अवलोकन करने पर यह प्रकाश में आया कि :-

विभाग द्वारा, जारी बजट आवंटन पत्र में लेखा शीर्षों का वर्गीकरण एवं क्रम गलत/अपूर्ण उल्लेखित किया गया । विभाग द्वारा जारी पत्रों की छाया प्रति परिशिष्ट "घ" के रूप में संलग्न है ।

विभाग द्वारा की गयी उक्त त्रुटि के परिणाम स्वरूप सभी कार्यालयों द्वारा बिना बजट प्रावधान राशियां दर्ज की गयी तथा लेखा शीर्षों का त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण वर्गीकरण/क्रम दर्शाया गया ।

1.4 वन विभाग द्वारा विक्रयकर की प्राप्ति को वन राजस्व के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना ।

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन 2002-03 एवं 2003-04, 2004-05, 2005-06 की कंडिका क्रमशः 4.6, 1.4 एवं 1.5, 1.4 में सरकारी लेखाकरण नियम, 1990 के नियम 29 के प्रावधानों का संदर्भ देते हुए विभाग द्वारा इमारती लकड़ी, बाँस, खैर तथा छोटे वनोपजों की बिक्री से प्राप्त विक्रय कर की राशि को वनराजस्व लेखा मुख्य शीर्ष-0406 के नीचे विभिन्न लघुशीर्षों के विस्तृत शीर्ष " विक्रय कर से प्राप्ति" के अंतर्गत लेखाबद्ध कर विभाग की आय माना जाना तथा प्राप्त विक्रय

कर का वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान करते समय वन विभाग के राजस्व व्यय लेखा मुख्य शीर्ष-2406 के नीचे विभिन्न लघुशीर्षों के विस्तृत शीर्षान्तर्गत लेखाबद्ध कर विभाग का व्यय माना जाना जैसी वित्तीय अनियमितता की ओर विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया था ।

वर्ष 2006-07 के राजस्व/व्यय के बजट अनुमान पुस्तिका क्रमशः खण्ड-2 एवं मांग संख्या 10 तथा वन कार्यालयों से प्राप्त मासिक लेखों का अवलोकन करने पर उक्त अनियमितता यथावत् पायी गयी । वर्ष 2006-07 के बजट अनुमान एवं वन कार्यालयों द्वारा प्रेषित मासिक लेखों के आधार पर इस कार्यालय द्वारा उक्त प्राप्ति/व्यय शीर्षान्तर्गत संकलित राशियां निम्नानुसार हैं:-

<u>बजट शीर्ष</u>	<u>बजट अनुमान</u>	<u>इस कार्यालय के आंकड़े</u> (रूपये हजार में)
0406-वन राजस्व (विक्रयकर)	47,19,70	50,58,79
2406-वानिकी तथा वन्य जीवन (विक्रयकर)	41,05,00	49,81,33

1.5 कोषालय में वन प्रेषण (मु.शी. 8782-103-01) के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 के अन्त में लम्बित शेष।

वन वित्तीय नियमावली के नियम 59 एवं 67 में वन कार्यालयों द्वारा कोषालय में प्रत्येक माह मु.शी. 8782-103 वन प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत प्रेषित राशियों का मिलान कोषालय से प्राप्त समेकित कोषालय रसीद (सी.टी.आर.) से कर इसका समाधान पत्रक एवं सी.टी.आर. मासिक लेखे के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किये जाने को प्रावधान है। इसके अतिरिक्त वनमण्डलों द्वारा मु.शी. 8782-103 वन प्रेषण शीर्ष से संबन्धित चालानों पर (जो कि कोषालय में प्रेषित किये जावें) एक युनिक नम्बर मशीन द्वारा अंकित करने तथा चालान फार्म पर डिवीजन का नाम अथवा कोड़ नम्बर दिया जाना चाहिये, ताकि डिवीजन द्वारा प्रेषित चालान एवं कोषालय द्वारा सी.टी.आर. में अंकित चालान के नम्बर से मिलान हो सके, परन्तु वनमण्डलों को बार-बार लिखने के पश्चात् भी अभी तक उक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। परिणाम स्वरूप वर्ष 2006-07 में वन प्रेषण शीर्ष में 32.54 करोड़ की राशि समायोजन हेतु शेष है। अतएव इस ओर अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

इसी प्रकार म.प्र. कोष संहिता भाग-1 के नियम 506 के अनुसार प्रत्येक माह कोषालय में आहरण हेतु कोषालय पर जारी धनादेशों एवं इनकी राशियों का मिलान कोषालय से प्राप्त, धनादेश जारी प्रमाण-पत्र से किया जाकर उक्त प्रमाण पत्र एवं समाधान पत्रक अनुवर्ती माह की 15 तारीख तक महालेखाकार

कार्यालय में प्रेषित किए जाना चाहिये। परन्तु अधिकांश वन मण्डलों द्वारा उक्त अभिलेख महालेखाकार कार्यालय को नहीं भेज रहे हैं। इस कारण शासकीय धन के गबन/हानि एवं लेखा के वर्गीकरण की त्रुटि पर समुचित नियन्त्रण रखना संभव नहीं हो पा रहा है।

1.6 विभागीय भविष्य निधि पर देय ब्याज का लेखे में समायोजन न किया जाना।

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 की कंडिका क्रमशः 1.6 एवं 1.7, 1.6 के माध्यम से विभाग के सभी कार्यालयों में कार्यरत समूह "घ" कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि खातों में जमा राशि पर वार्षिक ब्याज की गणना कर देय ब्याज की राशि उक्त कर्मचारियों के खातों में क्रेडिट करने तथा मुख्य लेखा शीर्ष 2049-ब्याज संदाय,03-अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि पर ब्याज, 104-राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज, 4033-विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज को डेबिट करने हेतु प्रस्ताव विभागाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, म.प्र. ग्वालियर को प्रेषित करने का लेख किया गया था। ताकि विभागीय भविष्य निधि में जमा राशियों पर देय ब्याज का समायोजन संबंधित वित्तीय वर्ष के लेखे में किया जा सके।

वर्ष 2006-07 के लिये कुल 155 वन कार्यालयों में से मात्र वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) खण्डवा द्वारा रूपये 430761 का अंतरण प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसका समायोजन अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से वर्ष 2006-07 के लेखे में किया गया। इसके अतिरिक्त विभागीय भविष्य निधि से संबंधित कोई ब्याज पत्रक प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में प्रथम मुख्य वन संरक्षक सतपुड़ा भवन भोपाल को पत्र क्र. निधि-1/डी.पी.एफ. ब्याज/364 दिनांक 11.09.07 जारी किया गया।

1.7 वन विकास उपकर राशि का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण किया जाना।

वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 की समीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से, विभिन्न वन कार्यालयों द्वारा लेखा शीर्ष 0406-वानिकी और वन्य जीवन 800-अन्य प्राप्तियां (0236)-वन विकास उपकर से प्राप्तियां के अंतर्गत लेखाबद्ध योग्य राजस्व को अन्य शीर्षान्तर्गत लेखाबद्ध करने की त्रुटि की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। यह भी लेख किया गया था कि, उक्त त्रुटि के कारण उक्त शीर्ष के अंतर्गत कम राशि लेखाबद्ध होने का प्रतिकूल प्रभाव वनों के विकास हेतु स्थापित वन विकास निधि पर होता है एवं वनों के विकास के लिए व्यय हेतु कम राशि उपलब्ध हो पाती है।

वर्ष 2006-07 में उक्त शीर्षान्तर्गत महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखाबद्ध/संकलित राशि रूपये 14.37 करोड़ थी। वर्ष 2005-06 में प्राप्त वन विकास उपकर की राशि का म.प्र. शासन की स्वीकृति क्र.एफ. 3/32/2006/10-2 दिनांक 17.10.06 के द्वारा राशि 11,25,00,000 का वन विकास निधि में अंतरण किया गया तथा म.प्र. शासन की वन विकास निधि से व्यय की स्वीकृति क्र./3/22/2006/10-2 दिनांक 21.06.07 राशि रूपये 11.25 करोड़ के विरुद्ध वास्तविक व्यय राशि रूपये 15900=00 का वन विकास निधि से व्यय के रूप में समायोजित की गई।

1.8 वन कार्यालयों द्वारा "कोषालय में प्रेषण" से संबंधित चालानों पर त्रुटिपूर्ण लेखा शीर्ष अंकित करना।

वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के प्रतिवेदन की कंडिका 1.12 एवं 1.9 में वन वित्तीय नियमावली के नियम 62 एवं म.प्र. कोष संहिता भाग-एक के नियम 501 की ओर विभाग का ध्यान आकर्षित करते हुए इनके अनुसरण में समस्त वन कार्यालयों से कोषालय में चालान द्वारा प्रेषित योग्य राशि लेखा शीर्ष 8782-103-वन प्रेषण, 01-कोषालय में प्रेषण के अंतर्गत प्रेषित कराने का लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में विभिन्न वनवृत्त कार्यालयों में लेखा संबंधी सम्पन्न कार्यशालाओं में भी उक्त प्रक्रिया विषयक अवगत कराया गया ताकि :-

- (1) शासन की आय दो लेखाओं अर्थात् वन लेखा एवं कोषालय लेखा के माध्यम से लेखाबद्ध न होकर मात्र एक (वन लेखा) के माध्यम से लेखाबद्ध हो तथा शासन की आय एक बार काल्पनिक रूप से न बढ़े।
- (2) वन कार्यालयों द्वारा रोकड़ लेखा के भुगतान पक्ष में उक्त प्रेषण लेखा शीर्षान्तर्गत लेखाबद्ध डेबिट राशि इस कार्यालय की लेखा पुस्तिकाओं में समायोजन हेतु लंबित न रहे।

वर्ष 2006-07 में प्राप्त विभिन्न वन कार्यालयों के मासिक लेखाओं की जांच करने पर पुनः यह पाया गया कि उक्त कार्यालयों द्वारा अभी भी कोषालय में चालान द्वारा राशि उक्त प्रेषण लेखा शीर्ष के अंतर्गत प्रेषित न करते हुये लेखाशीर्ष 0406-वन राजस्व, 7610-शासकीय सेवकों को ऋण, 8009-सामान्य भविष्य निधि तथा 8550-101-वन अग्रिम, 8443- 106 व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत प्रेषित की गयी हैं। जिससे लेखे में आय के दोहरे लेखांकन होने की संभावना बनती है।

- 1.9 मासिक लेखा के साथ प्रेषित आय तथा व्यय के वर्गीकृत सार (फार्म-14) प्रगामी आय/व्यय पत्रक (फार्म-7अ/7ब) एवं अनुसूचियों/प्रमाणकों पर लेन देनों से संबंधित लेखाशीर्षों का पूर्ण विवरण अंकित न करना ।

नियमानुसार विभिन्न लेन-देनों के प्रत्येक अभिलेख पर लेन देन से संबंधित लेखाशीर्ष निम्नानुसार क्रम में अंकित किए जाने चाहिए ।

- (1) राजस्व/प्राप्ति/आय

मुख्य शीर्ष,
उप मुख्य शीर्ष
लघु शीर्ष
उप शीर्ष
विस्तृत शीर्ष ।

- (2) व्यय/भुगतान

मांग संख्या-आयोजनेत्तर/आयोजना, भारित/मतदेय
मुख्य शीर्ष
उप मुख्य शीर्ष
समूह शीर्ष
लघु शीर्ष
उप शीर्ष
विस्तृत शीर्ष
उप विस्तृत शीर्ष

विभिन्न वन कार्यालयों से प्राप्त मासिक लेखा के संलग्न उक्त अभिलेख की जांच करने पर यह पाया गया है कि, इन पर उपरोक्तानुसार राजस्व/व्यय के लेखा शीर्ष अंकित नहीं किए गए हैं । परिणामतः महालेखाकार कार्यालय में लेन-देन के वर्गीकरण संबंधी त्रुटि हुई है तथा कम्प्यूटर पर लेखा संकलित करने में कठिनाई आई है ।

- 1.10 द्वितीय एवं तृतीय अनुपूरक बजट अनुमान में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण।

वन विभाग की मांग संख्या 10 – वन द्वितीय एवं तृतीय अनुपूरक अनुदान वर्ष 2006-07 के परीक्षण करने पर पाया गया कि जिस योजना शीर्षान्तर्गत बजट प्रावधान किया गया था, वह मूल बजट से उप मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, समूह शीर्ष स्तर पर वर्गीकरण भिन्न/त्रुटिपूर्ण था जिसके फलस्वरूप अनुदान संख्या 10 – वन के ब्यौरेवार लेखे में प्रावधान के विरुद्ध, वास्तविक व्यय निरंक रहा। क्योंकि प्रावधानित राशियाँ कोडिंग में भिन्नता के कारण अलग

प्रदर्शित हुई तथा मूल बजट प्रावधान में नहीं जुड़ सकी। जिसके कारण द्वितीय तृतीय अनुपूरक अनुमान में, बजट प्रावधान किये जाने का उद्देश्य निरर्थक सिद्ध हुआ।

स. क्र.	मूल बजट अनुसार वर्गीकरण (कोडिंग)	द्वितीय/तृतीय अनुपूरक अनुसार वर्गीकरण (कोडिंग)	वर्गीकरण में अंतर शीर्ष स्तर पर	द्वितीय एवं तृतीय अनुपूरक की राशि (रूपये)	मद क्र.
1	10-2406-01-101-2786	10-2406-01-001-2786	लघुशीर्ष	III 5,00,000	(1)
2	10-2406-01-005-6025	10-2406-01-101-0101-6025	लघुशीर्ष, समूह शीर्ष	II 2,45,000	(11, 12)
3	10-2406-02-110-2900	10-2406-01-102-2900	उप मु.शीर्ष लघु शीर्ष	III 55,19,000	(10 to 14)
4	10-2406-02-110-3897	10-2406-01-102-3897	उपमु.शीर्ष लघु शीर्ष	III 18,99,000	(15 to 19)

1.11 प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि/समूह बीमा योजना/मोटर वाहन अग्रिम/गृह निर्माण अग्रिम इत्यादि के कटौतों राशियों का रोकड़ लेखे में शामिल किया जाना।

(1) वर्ष के दौरान दिनांक 01.07.06 के उपरान्त प्राप्त मासिक लेखाओं का अवलोकन करने पर विभाग से अन्य संस्थाओं यथा लघु वनोपज संघ, वन विकास निगम/अन्य विभाग इत्यादि में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के लेखा शीर्ष सा.भ.नि./समूह.बी.यो./मो.वा.अ./गृ. नि.अ. इत्यादि के कटौतों की राशि कई वन मंडलों/कार्यालयों द्वारा रोकड़ लेखे में दर्शायी गई है। जबकि माह 07/06 से उक्त शीर्षान्तर्गत लेनदेन कोषालय लेखे के माध्यम से किया जा रहा है।

अतः प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ/गये कर्मचारियों/ अधिकारियों के कटौतों, संबंधित मद के शीर्षान्तर्गत राशि बैंक ड्राफ्ट/चैक से अपने विभाग के माध्यम से कोषालय में अथवा सीधे चालान से कोषालय में जमा करायी जानी चाहिये न कि मु. शीर्ष 8782-103-01 में राशि चालान में जमा कर रोकड़ लेखे के प्राप्ति पक्ष में संबंधित मद के अन्तर्गत वन मासिक लेखे में शामिल किया जाना चाहिये।

(2) कटौतों राशि के चालान प्राप्त होने की स्थिति में :-

कटौतों राशियों के कोषालय में जमाशुदा चालानों जिस पर विभिन्न लेखा शीर्ष यथा 8009-सामान्य भविष्य निधि/7610-मोटर वाहन अग्रिम/गृह निर्माण अग्रिम, 8011-समूह बीमा योजना इत्यादि अंकित हैं, के प्राप्त होने पर

उक्त चालानों की राशियों का लेखांकन कार्यालय के मासिक लेखा में (रोकड़ बही/रोकड़ लेखा) नहीं किया जाना चाहिये । क्योंकि उक्त कटौती राशियां कोषालय लेखे के माध्यम से शासकीय लेखों में सम्मिलित हो जाती है । प्राप्त चालानों को मात्र अभिलेख में रखा जाना चाहिये ।

1.12 वर्ष 2006-07 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि के अंतर्गत प्राप्ति हेतु अनुमान एवं प्राप्ति का लेखांकन।

म.प्र. शासन, वन विभाग के आदेश क्र./एफ-3/33/98/10-2 दिनांक 29.12.99 के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण से संबंधित प्राप्त राशि को, संबंधित वन मंडलअधिकारी द्वारा संबंधित कोषालय में व्यक्तिगत जमा खाता खोलकर इसमें जमा कराया जाना चाहिये । आदेश की प्रति परिशिष्ट "ड-एक" के रूप में संलग्न है ।

वर्ष 2005-06 की भांति ही वर्ष 2006-07 की बजट अनुमान पुस्तिका खंड-2 पृष्ठ 17 में "मुख्य शीर्ष 0406-वानिकी और वन्य जीवन (800) अन्य प्राप्तियाँ - (0237) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये अन्य विभागों से प्राप्तियाँ" हेतु राशि रूपये 20,000/- (बीस हजार) का बजट अनुमान किया गया तथा विभिन्न कार्यालयों से इस कार्यालय में प्राप्त मासिक लेखों में आधार पर इस कार्यालय की लेखा पुस्तिकाओं में राशि रूपये 48,85,873/- की प्राप्ति दर्ज की गई ।

विभाग के उक्त आदेशानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण विषयक राजस्व प्राप्ति शीर्ष के अंतर्गत किया गया बजट अनुमान एवं विभिन्न वन मंडलों द्वारा उक्त राजस्व शीर्षान्तर्गत राशियाँ दर्ज की जाना विभागीय आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है ।

वर्ष 2006-07 में वैकल्पिक वृक्षारोपण के अन्तर्गत वन मंडलवार दर्ज राशियों का विवरण परिशिष्ट "च" पर प्रदर्शित हैं ।

1.13 मासिक लेखाओं में पायी गयी अन्य त्रुटियां/अनियमितताएं।

- (1) वन वित्तीय नियमावली 226 एव लेखा संहिता भाग-तीन के अनुसार अनुसूचियां निर्धारित प्रपत्र पर तैयार कर न भेजना ।
- (2) बिना बजट प्रावधान राशियां दर्ज करना ।
- (3) कोषालय में प्रेषण का समाधान पत्रक एवं "समेकित कोषालय रसीद" मासिक लेखे के साथ उपलब्ध न कराना अथवा अत्यंत विलम्ब से उपलब्ध कराना ।
- (4) रोकड़ लेखा के प्राप्ति तथा भुगतान पक्ष की राशि असमान होना ।

- (5) आय/व्यय के वर्गीकृत सार (फार्म-14) का योग रोकड़ लेखा में दर्ज आय/व्यय की राशि से न मिलना ।
- (6) आय/व्यय के प्रगामी अंको के पत्रक (फार्म-7अ/ब) का योग वर्गीकृत सार (फार्म-14) के योग से न मिलना ।
- (7) अनुसूचियों में उल्लेखित राशियों के योग में त्रुटि होना ।
- (9) रोकड़ लेखा में लेखा शीर्ष के कोड क्रमांक व नामावली त्रुटिपूर्ण अंकित करना ।
- (10) आयकर विभाग को आयकर विभाग से संबंधित चालान द्वारा भुगतान को रोकड़ लेखा के भुगतान पक्ष में दर्शाना ।
- (11) रोकड़ लेखा के भुगतान पक्ष में "अमान्य राशि का भुगतान " का लेखा शीर्ष न दर्शाना ।

शासन के ध्यान में उक्त त्रुटियां/अनियमितताएं लाते हुए भविष्य में उक्त त्रुटि/अनियमितताओं की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु समुचित कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है।

----- XXXXXX -----

भाग-दो (लेखा परीक्षा)

2.1 व्यय का स्थानीय लेखा परीक्षण-

2.1.1 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रथम उत्तर प्राप्त न होना :-

वर्ष 2006-07 में 69 वनमण्डलों के व्यय की लेखा परीक्षा महालेखाकार के लेखा परीक्षा दल द्वारा की गयी। उक्त 69 वनमण्डलों में से 50 वन मण्डलों के प्रथम उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। विवरण परिशिष्ट "छ" पर प्रदर्शित है। जबकि निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम उत्तर प्रतिवेदन के जारी होने के 5 सप्ताह में प्राप्त हो जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों में किये गये लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति में भी प्रगति नहीं हुई है। वर्ष 2006-07 के अंत तक 832 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 2146 कंडिकाएँ लंबित है। विवरण परिशिष्ट "ज" पर प्रदर्शित है।

2.1.2 वर्ष 2006-07 के अंत तक वनमण्डलों द्वारा की गयी गंभीर प्रकार की अनियमितताओं के कारण आपत्ति पुस्तकों में लंबित राशि:-

वर्ष 2006-07 में विभिन्न वन कार्यालयों द्वारा किये गये आपत्तिजनक व्यय के कारण 59 प्रकरणों की राशि रु. 88,11,126=00 तथा वर्ष 2005-06 में 33 प्रकरणों की राशि रूपये 68,15,426=00 निराकरण हेतु लंबित थी।

2.1.3 हानि प्रकरणों पर संबंधित वनमण्डलों द्वारा उचित प्रभावी कार्यवाही न किया जाना।

मध्य प्रदेश सामान्य वित्तीय संहिता खण्ड-। के नियम 22 एवं 24 के अनुसार हानि के प्रकरण ध्यान में आते ही उनके संबंध में की गयी कार्यवाही से महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखा) मध्य प्रदेश, ग्वालियर को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। परंतु वर्ष 1975-76 से 2006-07 के अंत तक राशि रूपये 11,42,26,690/- के 2170 हानि प्रकरण लंबित है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "झ" पर प्रदर्शित है।

2.2 राजस्व प्राप्तियों की स्थानीय लेखा परीक्षा।

2.2.1 महालेखाकार के लेखा परीक्षा दल द्वारा वर्ष 2006-07 में 69 वनमण्डलों की राजस्व प्राप्तियों का लेखा परीक्षण किया गया, एवं पाई गई आपत्तियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभाग को अवगत कराया गया। वर्ष के अंत तक सभी 28 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुए। विवरण परिशिष्ट "ज" पर प्रदर्शित है।

इसी वर्ष 2006-07 के अंत तक लेखा परीक्षा से संबंधित 604 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अंतर्गत 1419 कण्डिकाओं की रूपये 110345.92 लाख का निराकरण लंबित है। जिसका वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ट" में दर्शाया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा आडिट आपत्तियों को गम्भीरता से नहीं लिया गया है।

2.2.2 उचित प्रबंधन एवं लेखा परीक्षण की आपत्तियों पर उचित ध्यान न देने से शासन को हानि।

वर्ष 2006-07 में विभिन्न वनमण्डलों के राजस्व लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि, वनमण्डलों द्वारा उचित प्रबंधन एवं सावधानी न रखने के फलस्वरूप जैसे-वनोपज निपटान हेतु समुचित प्रबंध न किया जाना, वनोपज की कमी पर ध्यान न देना, लकड़ी के अनुमानित उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन के अंतर पर ध्यान न देना, एवं विक्रय कर की प्राप्तियों को अनावश्यक रोकना इत्यादि, कारणों से शासन को करोड़ों की हानि हुई है। राजस्व निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से इस हानि को कार्यालय प्रमुख के ध्यान में लाया गया है।

2.2.3 लेखा परीक्षण के दौरान गम्भीर अनियमितताओं पर जारी प्रारूप कंडिकाएँ।

वर्ष 2006-07 में वन विभाग की लेखा परीक्षण के दौरान गम्भीर अनियमितता पाई गई जिनके सन्दर्भ में लेखा परीक्षा विभाग द्वारा 6 छै: प्रारूप कण्डिकाएँ जारी की गई हैं। जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "ठ" में दर्शित है।

अतः शासन से अपेक्षा है कि लेखा परीक्षा के दौरान, लेखा परीक्षा दल द्वारा ध्यान में लाई गयी आपत्तियों एवं हानि प्रकरणों के संबंध में संबंधित विभागों को तुरंत कार्यवाही करने एवं जानकारी प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) मध्य प्रदेश, ग्वालियर कार्यालय को तुरंत भिजवाने हेतु निर्देशित किया जावे।

लेखा अधिकारी

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम
म.प्र. ग्वालियर

परिशिष्ट 'क'

(कृपया कण्डिका 1.1 देखें)

तीन या तीन से अधिक माह के विलम्ब से प्राप्त हुए मासिक लेखों का विवरण पत्रक

क्र.	वन मण्डल / वनवृत का नाम	माह	माहों की संख्या
1.	वन मण्डलाधिकारी दमोह	06/2006, 09/06, 03/07	3
2.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) सागर	05/06, 09/06, 10/06, 02/07, 03/07,	5
3.	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) सागर	05/06, 06/06, 08/06, 09/06, 02/07	5
4.	वन मण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) नौरादेही सागर	05/06, 06/06, 09/06, 10/06, 12/06, 03/07	6
5.	वन संरक्षक सागर	07/06, 10/06, 03/07	3
6.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) सागर	04/06, 05/06, 06/06, 07/06, 09/06, 10/06	6
7.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) सागर	05/06, 09/06, 10/06, 03/07	4
8.	वन संरक्षक भोपाल	04/06, 05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 11/06, 01/07, 02/07	8
9.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) भोपाल	05/06, 06/06, 07/06, 09/06, 10/06, 12/06, 02/07, 03/07	8
10.	संचालक वन विहार (राष्ट्रीय उद्यान) भोपाल	05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 06/06, 10/06, 11/06, 03/07	8
11.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) रायसेन	08/06, 09/06, 03/07	3
12.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) रायसेन	05/06, 09/06, 03/07	3
13.	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) रायसेन	06/06, 07/06, 09/06, 03/07	4

14.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) औबेदुल्लागंज	05/06, 09/06, 10/06, 03/07	4
15.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) सीहोर	06/06, 09/06, 10/06, 12/06	4
16.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) सीहोर	02/07, 03/07	2
17.	वन मण्डलाधिकारी राजगढ़ ब्यावरा	04/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 02/07, 03/07	9
18.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) भोपाल	04/06, 05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06, 1/07, 03/07	11
19.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) विदिशा	04/06, 05/06, 06/06, 07/06, 09/06, 10/06, 03/07	7
20.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) भोपाल	05/06, 06/06, 07/06, 09/06, 10/06, 12/06, 03/07	7
21.	वन मण्डलाधिकारी रीवा	06/06, 07/06, 09/06, 10/06, 11/06, 01/07, 02/07, 03/07	8
22.	वन मण्डलाधिकारी सतना	06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 01/07, 03/07	7
23.	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) सीधी	04/06, 05/06, 09/06, 10/06, 11/06, 02/07	6
24.	वन मण्डलाधिकारी (पूर्व) सीधी	04/06, 05/06, 06/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06, 02/07	9
25.	संचालक राष्ट्रीय उद्यान सीधी	05/06, 07/06, 09/06, 10/06, 12/06	5
26.	वन संरक्षक रीवा	04/06, 05/06, 06/06, 07/06, 09/06, 10/06, 12/06, 02/07	8
27.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) रीवा	04/06, 06/06, 07/06, 09/06, 12/06, 01/07, 02/07	7
28.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) रीवा	04/06, 05/06, 06/06, 07/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06, 01/07, 02/07	10
29.	वन मण्डलाधिकारी खरगोन	05/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06, 01/07, 02/07, 03/07	9

30.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) बड़वाहा	09/06, 10/06, 01/07, 03/07	4
31.	वन मण्डलाधिकारी सेंधवा	06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 01/07, 02/07, 03/07	9
32.	वन मण्डलाधिकारी बुरहानपुर	05/06, 06/06, 07/06, 09/06, 10/06, 02/07, 03/07	7
33.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) खण्डवा	09/06, 10/06, 03/07	3
34.	वन मण्डलाधिकारी दक्षिण नर्मदा (उत्पादन) खण्डवा	09/06, 10/06, 01/07, 03/07	4
35.	वन संरक्षक खण्डवा	05/06, 07/06, 08/06, 09/06	4
36.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) खण्डवा	05/06, 09/06, 10/06, 03/07	4
37.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) खण्डवा	09/06, 10/06, 01/07, 02/07, 03/07	5
38.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल	05/06, 06/06, 07/06, 10/06, 12/06, 01/07	6
39.	मुख्य वन संरक्षक (विकास) भोपाल	05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 10/06	5
40.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) भोपाल	05/06, 06/06, 07/06, 09/06, 11/06, 03/07	6
41.	मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) भोपाल	04/06, 05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 11/06, 12/06, 03/07	9
42.	वन मण्डलाधिकारी (राजधानी परियोजना) भोपाल	05/06, 07/06, 08/06, 09/06, 03/07	5
43.	संयुक्त, संचालक, म.प्र. वानिकी परियोजना भोपाल	05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 03/07	8
44.	मूल्यांकन अधिकारी (अनुसंधान/विस्तार) भोपाल	05/06, 06/06, 08/06, 09/06, 10/06, 02/07, 03/07	7
45.	मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) भोपाल	04/06, 05/06, 07/06, 09/06, 10/06, 11/06, 01/07, 02/07	8
46.	वन मण्डलाधिकारी धार	07/06, 09/06, 10/06, 03/07	4
47.	वन संरक्षक (वन्य प्राणी) इन्दौर	05/06, 07/06, 08/06, 09/06, 02/07, 03/07	6

48.	वन संरक्षक इन्दौर	06/06, 09/06, 03/07	3
49.	मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) इन्दौर	05/06, 06/06, 11/06,	3
50.	वन मण्डलाधिकारी इन्दौर	05/06, 06/06, 07/06, 09/06, 11/06, 12/06, 03/07	7
51.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) इन्दौर	05/06, 06/06, 09/06, 10/06, 01/07, 03/07	6
52.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) इन्दौर	05/06, 06/06, 07/06, 03/07	4
53.	वन मण्डलाधिकारी झाबुआ क्षेत्रीय	10/06, 02/07, 03/07	3
54.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) झाबुआ	05/06, 06/06, 07/06, 09/06, 10/06, 12/06, 03/07	7
55.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) पन्ना	06/06, 01/07, 02/07, 03/07	4
56.	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) पन्ना	09/06, 10/06, 01/07, 03/07	4
57.	संचालक राष्ट्रीय उद्यान टाईगर पन्ना	05/06, 06/06, 10/06, 03/07	4
58.	वन संरक्षक छतरपुर	05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 12/06, 01/07	8
59.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) छतरपुर	07/06, 09/06, 10/06	3
60.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) छतरपुर	06/06, 07/06, 10/06, 03/07	4
61.	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) छतरपुर	04/06, 05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 01/07, 02/07, 03/07	9
62.	वन मण्डलाधिकारी टीकमगढ़	06/06, 07/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06, 01/07, 02/07, 03/07	9
63.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) देवास	05/06, 06/06, 07/06, 09/06, 01/07, 03/07	6
64.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) देवास	07/06, 09/06, 10/06, 03/07	4
65.	वन संरक्षक उज्जैन	04/06, 05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 03/07, 10/06	8
66.	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) उज्जैन	06/06, 08/06, 01/07, 02/07, 03/07	5

67.	वन मण्डलाधिकारी रतलाम	05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 10/06, 12/06, 02/07, 03/07	8
68.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) रतलाम	04/06, 06/06, 09/06, 10/06, 12/06, 03/07	6
69.	वन संरक्षक शहडोल	04/06, 05/06, 09/06, 01/07, 03/07	5
70.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) शहडोल	04/06, 05/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 03/07	7
71.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) शहडोल	04/06, 05/06, 09/06, 10/06	4
72.	वन मण्डलाधिकारी उमरिया	05/06, 09/06, 03/07	3
73.	संचालक बांधवगढ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया	09/06, 10/06, 12/06, 03/07	4
74.	वन मण्डलाधिकारी मन्दसौर	06/06, 08/06, 10/06, 03/07	4
75.	वन संरक्षक शिवपुरी	04/06, 05/06, 06/06, 03/07	4
76.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) शिवपुरी	04/06, 09/06, 03/07	3
77.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) गुना	06/06, 10/06, 03/07	3
78.	संचालक वन विद्यालय शिवपुरी	06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 3/07	6
79.	वन संरक्षक कार्य आयोजना शिवपुरी	08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 02/07	5
80.	संचालक माघव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 12/06, 02/07, 03/07	7
81.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) अशोक नगर	04/06, 05/06, 06/06, 07/06, 09/06, 10/06, 02/07, 03/07	8
82.	वन संरक्षक होशंगाबाद	05/06, 06/06, 07/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06, 01/07, 02/07, 03/07,	10
83.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) होशंगाबाद	05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06, 01/07, 02/07, 3/07	11
84.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) हरदा	05/06, 09/06, 10/06, 12/06, 02/07, 03/07	6

85.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) हरदा	05/06, 09/06, 10/06, 12/06, 01/07, 02/07, 03/07	7
86.	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) होशगांबाद	05/06, 06/06, 07/07, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06	7
87.	वन संरक्षक कार्य आयोजना होशगांबाद	05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06, 03/07	9
88.	उप संचालक सतपुड़ा टाईगर पचमढी	06/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 02/07, 03/07	7
89.	वन संरक्षक सिवनी वृत्त	05/06, 06/06, 08/06, 09/06, 10/06, 03/07	6
90.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) सामान्य सिवनी	05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 03/07	7
91.	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) सामान्य सिवनी	05/06, 06/06, 07/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06, 01/07, 03/07	9
92.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) उत्पादन सिवनी	04/06, 05/06, 08/06, 09/06, 10/06, 01/07, 03/07	7
93.	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) उत्पादन सिवनी	05/06, 06/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06, 02/07, 03/07	9
94.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) सिवनी	04/06, 05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 12/06, 01/07, 0/07, 03/07	11
95.	वन संरक्षक कार्य आयोजना सिवनी	05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 02/07, 03/07	9
96.	वन मण्डलाधिकारी नरसिंहपुर	07/06, 08/06, 10/06, 12/06, 01/07, 02/07, 03/07	7
97.	उप वन संरक्षक पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी	05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 01/07, 02/07, 03/07	8
98.	उप संचालक पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	05/06, 06/06, 07/06, 09/06, 01/07, 02/07, 03/07	7
99.	संचालक राजीव गाँधी सहभागी प्रशिक्षण संस्थान लखनादौन	04/06, 05/06, 06/06, 07/06, 09/06, 10/06, 01/07, 02/07, 03/07	9

100.	वन संरक्षक बैतूल	06/06, 01/07, 02/07, 03/07	4
101.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) सामान्य बैतूल	05/06, 06/06, 08/06, 09/06, 10/06, 03/07, 12/06, 01/07,	8
102.	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) सामान्य बैतूल	06/06, 07/06, 11/06, 02/07, 03/07	5
103.	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) सामान्य बैतूल	06/06, 07/06, 09/06, 10/06, 11/06, 02/07, 03/07, 01/07	8
104.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) बैतूल	6/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06	5
105.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) बैतूल	05/06, 06/06, 07/06, 09/06, 10/06	5
106.	वन संरक्षक कार्य आयोजना बैतूल	06/06, 09/06, 10/06, 01/07, 02/07, 03/07,	6
107.	संचालक वन विद्यालय बैतूल	05/06, 06/06, 09/06, 10/06, 02/07, 03/07	6
108.	वन संरक्षक बालाघाट	05/06, 06/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 02/07, 03/07	8
109.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) सामान्य बालाघाट	04/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 12/06	7
110.	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) बालाघाट	04/06, 05/06, 06/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06, 03/07	8
111.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) उत्पादन बालाघाट	04/06, 06/06, 09/06, 10/06, 03/07	5
112.	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) उत्पादन बालाघाट	04/06, 06/06, 09/06, 10/06, 02/07, 03/07	6
113.	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) उत्पादन बालाघाट	04/06, 05/06, 06/06, 09/06, 10/06, 12/06, 03/07	7
114.	वन संरक्षक कार्य आयोजना बालाघाट	04/06, 05/06, 07/06, 08/06, 10/06, 11/06, 12/06, 01/07, 02/07	9
115.	प्राचार्य वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट	05/06, 06/06, 09/06, 10/06, 03/07	5

116.	वन संरक्षक छिन्दवाड़ा	05/06, 06/06, 07/06, 09/06, 10/06, 01/07, 03/07	7
117.	वन मण्डलाधिकारी (पूर्व) सामान्य छिन्दवाड़ा	04/06, 05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06, 01/07, 02/07, 03/07,	12
118.	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) सामान्य छिन्दवाड़ा	06/06, 07/06, 09/06, 10/06, 12/06, 01/07, 03/07	7
119.	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) सामान्य छिन्दवाड़ा	06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 01/07, 03/07	8
120.	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) उत्पादन छिन्दवाड़ा	06/06, 07/06, 09/06, 10/06, 01/07, 02/07,	6
121.	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) छिन्दवाड़ा	06/06, 07/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06, 01/07, 02/07, 03/07,	9
122.	वन संरक्षक कार्य आयोजना छिन्दवाड़ा	06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 11/06, 01/07	6
123.	वन संरक्षक जबलपुर	05/06, 07/06, 09/06, 10/06,	4
124.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) जबलपुर	06/06, 09/06, 10/06,	3
125.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) जबलपुर	05/06, 06/06, 09/06, 10/06, 12/06, 02/07, 03/07	7
126.	वन मण्डलाधिकारी कटनी सामान्य	05/06, 06/06, 09/06, 02/07, 03/07	5
127.	वन संरक्षक कार्य आयोजना जबलपुर	05/06, 06/06, 09/06, 10/06, 03/07	5
128.	मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना जबलपुर	04/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 02/07, 12/06, 01/07	9
129.	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) सामान्य मण्डला	05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 12/06, 03/07	7
130.	वन मण्डलाधिकारी (पूर्व) सामान्य मण्डला	06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 01/07	6
131.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) डिण्डोरी	06/06, 07/06, 09/06, 10/06, 12/06, 02/07, 03/07	7

132.	उप संचालक कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06, 01/07, 02/07, 03/07	10
133.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) मण्डला	06/06, 09/06, 10/06, 11/06, 01/07, 02/07, 03/07	7
134.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) डिण्डोरी	06/06, 09/06, 10/06, 01/07, 02/07, 03/07,	6
135.	उप संचालक कान्हा टाईगर रिजर्व वफर जोन मण्डला	06/06, 07/06, 09/06, 11/06, 12/06, 01/07, 03/07	7
136.	वन संरक्षक ग्वालियर	09/06, 11/06, 01/07, 02/07, 03/07,	5
137.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) ग्वालियर	05/06, 06/06, 08/06, 09/06, 10/06, 01/07, 02/07, 03/07,	8
138.	वन संरक्षक (अनुसंधान/ विस्तार) ग्वालियर	04/06, 05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 01/07, 02/07, 03/07	9
139.	वन संरक्षक कार्य आयोजना ग्वालियर	12/06, 01/07, 03/07	3
140.	वन मण्डलाधिकारी भिण्ड	04/06, 05/06, 06/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 02/07, 03/07	9
141.	वन संरक्षक (वन्य प्राणी) सिंह परियोजना ग्वालियर	06/06, 09/06, 01/07,	3
142.	वन मण्डलाधिकारी सामान्य दतिया	05/06, 09/06, 10/06	3
143.	वन मण्डलाधिकारी श्योपुरकलॉ सामान्य	05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 01/07, 02/07, 03/07,	9
144.	वन मण्डलाधिकारी कूनो वन्यप्राणी श्योपुर	06/06, 09/06, 10/06, 12/06, 02/07, 03/07,	5

ys[kk vf/kdkjh

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम म.प्र. ग्वालियर

परिशिष्ट 'ख'

(कृपया कण्डिका 1.2.1 देखें)

तीन या तीन से अधिक माहों का एक साथ पुनर्मिलान करने वाले वन कार्यालयों का विवरण पत्रक

क्र.	वन मण्डल / वनवृत्त का नाम	माह	माहों की संख्या	अंक मिलान कार्य करने की तिथि
1.	वन मण्डलाधिकारी दमोह	06/06 to 09/06	4	11-12-07
		10/06 to 02/07	5	14-05-07
2.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) सागर	06/06 to 09/06	4	14-12-06
		10/06 to 03/07	6	30-05-07
3.	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) सागर	04/06 to 08/06	5	26-10-06
		09/06 to 01/07	5	10-05-07
4.	वन मण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) नौरादेही सागर	04/06 to 07/06	4	12-10-06
		08/06 to 03/07	8	29-05-07
5.	वन संरक्षक सागर	06/06 to 09/06	4	16-11-06
		10/06 to 12/06	3	08-02-07
		01/07 to 03/07	3	28-05-07
6.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) सागर	06/06 to 08/06	3	12-10-06
		12/06 to 03/07	4	28-05-07
7.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) सागर	04/06 to 08/06	5	12-10-06
		10/06 to 03/07	6	19-06-07
8.	वन संरक्षक वृत्त भोपाल	04/06 to 08/06	5	10-11-06
		09/06 to 02/07	6	07-05-07
9.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) भोपाल	05/06 to 12/06	7	12-02-07
		01/07 to 03/07	3	31-05-07

10.	संचालक वन विहार (राष्ट्रीय उद्यान) भोपाल	04/06 to 08/06	5	13-10-06
		09/06 to 03/07	7	29-05-07
11.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) रायसेन	04/06 to 08/06	5	12-10-06
		09/06 to 02/07	6	12-04-07
12.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) रायसेन	06/06 to 11/06	6	22-01-07
		01/07 to 03/07	3	29-05-07
13.	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) रायसेन	06/06 to 09/06	4	28-11-06
		10/06 to 03/07	6	14-05-07
14.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) औबेदुल्लागंज	04/06 to 08/06	5	22-11-06
		10/06 to 03/07	6	29-05-07
15.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) सीहोर	06/06 to 09/06	4	22-12-06
16.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) सीहोर	06/06 to 08/06	3	31-10-06
		10/06 to 03/07	6	01-06-07
17.	वन मण्डलाधिकारी राजगढ़ ब्यावरा	04/06 to 09/06	6	14-12-06
		10/06 to 03/07	6	31-05-07
18.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) भोपाल	04/06 to 08/06	5	22-11-06
		09/06 to 02/07	6	17-05-07
19.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) विदिशा	04/06 to 08/06	5	28-10-06
		09/06 to 12/06	4	14-03-06
		01/07 to 03/07	3	30-05-07
20.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) भोपाल	04/06 to 08/06	5	07-11-06
		09/06 to 12/06	4	26-02-07
		01/07 to 03/07	3	30-05-07

21.	वन मण्डलाधिकारी रीवा	04/06 to 09/06	6	30-11-06
		10/06 to 03/07	6	30-05-07
22.	वन मण्डलाधिकारी सतना	04/06 to 09/06	6	20-12-06
		10/06 to 02/07	6	30-05-07
23.	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) सीधी	04/06 to 08/06	5	14-11-06
		09/06 to 12/07	6	14-05-07
24.	वन मण्डलाधिकारी (पूर्व) सीधी	04/06 to 12/06	9	13-02-07
		01/07 to 03/07	3	29-05-07
25.	संचालक संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी	04/06 to 08/06	5	31-10-06
		09/06 to 12/06	4	13-02-07
		01/07 to 03/07	3	29-05-07
26.	वन संरक्षक रीवा	04/06 to 08/06	5	13-10-06
		09/06 to 12/06	4	13-02-07
		01/07 to 03/07	3	30-05-07
27.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) रीवा	04/06 to 09/06	6	12-12-06
		10/06 to 03/07	6	29-05-07
28.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) रीवा	04/06 to 09/06	6	26-12-06
		10/06 to 03/07	6	31-05-07
29.	वन मण्डलाधिकारी खरगोन	04/06 to 09/06	6	28-11-06
		10/06 to 02/07	5	24-04-07
30.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) बड़वाहा	04/06 to 08/06	5	10-11-06
		09/06 to 03/07	7	30-05-07
31.	वन मण्डलाधिकारी बड़वानी	04/06 to 09/06	6	11-10-06
		10/06 to 12/06	3	12-03-07
		01/07 to 03/07	3	29-05-07

32.	वन मण्डलाधिकारी सेंधवा	04/06 to 02/07	11	15-05-07
33.	वन मण्डलाधिकारी बुरहानपुर	04/06 to 06/06 07/06 to 09/06 12/06 to 03/07	3 3 4	14-09-06 22-11-06 29-05-07
34.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) खण्डवा	04/06 to 06/06 07/06 to 01/07	3 7	14-09-06 28-11-06
35.	वन मण्डलाधिकारी दक्षिण नर्मदा (उत्पादन) खण्डवा	04/06 to 03/07	12	25-06-07
36.	वन संरक्षक खण्डवा	04/06 to 08/06 09/06 to 03/07	5 7	16-11-07 25-05-07
37.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) नर्मदा उत्पादन) खण्डवा	04/06 to 08/06 09/06 to 01/07	5 5	14-11-06 21-03-07
38.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) खण्डवा	04/06 to 09/06 10/06 to 03/07	6 6	28-12-06 31-05-07
39.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) खण्डवा	04/06 to 06/06 07/06 to 09/06 10/06 to 02/07	3 3 5	21-09-06 29-12-06 25-04-07
40.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल	06/06 to 12/06 01/07 to 03/07	7 3	13-02-07 30-05-07
41.	मुख्य वन संरक्षक (विकास) भोपाल	04/06 to 06/06 07/06 to 12/06	3 6	09-11-06 13-02-07
42.	मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) भोपाल	04/06 to 06/06 07/06 to 09/06 10/06 to 02/07	3 3 5	11-09-06 11-12-06 10-05-07
43.	मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) भोपाल	04/06 to 08/06 09/06 to 02/07	5 6	09-11-06 16-05-07

44.	वन मण्डलाधिकारी (राजधानी परियोजना) भोपाल	04/06 to 06/06 07/06 to 12/06 01/07 to 03/07	3 6 3	03-10-06 02-03-07 31-05-07
45.	संयुक्त, संचालक, म.प्र. वानिकी परियोजना भोपाल	04/06 to 03/07	12	31-05-07
46.	मूल्यांकन अधिकारी (अनुसंधान/विस्तार) भोपाल	04/06 to 08/06 09/06 to 12/06 01/07 to 3/07	5 4 3	06-02-07 15-03-07 30-05-07
47.	मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) भोपाल	04/06 to 09/06 10/06 to 03/07	6 6	28-12-06 30-05-07
48.	वन मण्डलाधिकारी धार	06/06 to 09/06 10/06 to 02/07	4 5	11-01-07 03-05-07
49.	वन संरक्षक (वन्य प्राणी) इन्दौर	04/06 to 08/06 09/06 to 03/07	5 7	10-10-06 28-05-07
50.	वन संरक्षक इन्दौर	04/06 to 08/06 09/06 to 03/07	5 7	07-11-06 28-05-07
51.	मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) इन्दौर	04/06 to 08/06 09/06 to 03/07	5 7	10-10-06 28-05-07
52.	वन मण्डलाधिकारी इन्दौर	04/06 to 09/06 10/06 to 03/07	6 6	13-12-06 30-05-07
53.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) इन्दौर	04/06 to 11/06 12/06 to 03/07	8 4	17-1-07 28-05-07
54.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) इन्दौर	04/06 to 09/06 10/06 to 03/07	6 6	29-12-06 30-05-07

55.	वन मण्डलाधिकारी झाबुआ क्षेत्रीय	04/06 to 06/06	3	20-09-06
		07/06 to 09/06	3	13-12-06
		12/06 to 03/07	4	28-05-07
56.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) झाबुआ	04/06 to 08/06	5	13-11-06
		10/06 to 03/07	6	31-05-07
57.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) पन्ना	04/06 to 09/06	6	11-12-06
		10/06 to 03/07	6	31-05-07
58.	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) पन्ना	06/06 to 09/06	4	05-12-06
		10/06 to 03/07	6	28-05-07
59.	संचालक राष्ट्रीय उद्यान टाईगर पन्ना	06/06 to 12/06	7	23-02-07
60.	वन संरक्षक छतरपुर	04/06 to 09/06	6	24-11-06
		10/06 to 03/07	6	28-05-07
61.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) छतरपुर	07/06 to 01/07	7	11-04-07
62.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) छतरपुर	04/06 to 12/06	9	24-11-06
		01/07 to 03/07	3	29-05-07
63.	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) छतरपुर	04/06 to 09/06	6	10-11-06
		10/06 to 02/07	5	09-05-07
64.	वन मण्डलाधिकारी टीकमगढ़	04/06 to 09/06	6	22-11-06
		10/06 to 03/07	6	23-05-07
65.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) देवास	04/06 to 09/06	6	12-12-06
		10/06 to 01/07	4	20-03-07
66.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) देवास	04/06 to 09/06	6	12-12-06
		10/06 to 12/06	3	01-03-07
		01/07 to 03/07	3	29-05-07

67.	वन संरक्षक उज्जैन	04/06 to 09/06	6	12-12-06
		10/06 to 03/07	6	25-06-07
68.	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) उज्जैन	04/06 to 09/06	6	09-11-06
69.	वन मण्डलाधिकारी रतलाम	04/06 to 06/06	3	04-10-06
		07/06 to 9/06	3	26-12-06
		10/06 to 12/06	3	19-02-07
		01/07 to 03/07	3	31-05-07
70.	वन मण्डलाधिकारी नीमच	04/06 to 09/06	6	23-11-06
		10/06 to 12/06	3	26-02-07
		01/07 to 03/07	3	24-05-07
71.	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) शाजापुर	04/06 to 09/06	6	12-12-06
		10/06 to 03/07	6	28-06-07
72.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) उज्जैन	04/06 to 09/06	6	28-11-06
		10/06 to 02/07	5	17-04-07
73.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) रतलाम	04/06 to 09/06	6	19-12-06
		10/06 to 03/07	6	29-05-07
74.	वन संरक्षक शहडोल	04/06 to 08/06	5	31-10-06
		09/06 to 03/07	5	21-03-07
75.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) शहडोल	04/06 to 09/06	6	13-11-06
		10/06 to 12/06	3	12-03-07
		01/07 to 03/07	3	25-05-07
76.	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) शहडोल	04/06 to 08/06	5	31-10-06
		09/06 to 01/07	5	21-03-07

77.	वन मण्डलाधिकारी उमरिया	04/06 to 09/06	6	28-11-06
		10/06 to 03/07	6	29-05-07
78.	संचालक बांधवगढ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया	04/06 to 08/06	5	12-10-06
		09/06 to 02/07	6	27-04-07
79.	वन मण्डलाधिकारी मन्दसौर	04/06 to 09/06	6	14-11-06
		10/06 to 03/07	6	24-05-07
80.	संचालक वन विद्यालय अमर कंटक	04/06 to 08/06	5	17-10-06
		09/06 to 12/06	4	12-02-07
		01/07 to 03/07	3	25-05-07
81.	वन मण्डलाधिकारी अनूपपुर	04/06 to 08/06	5	27-10-06
		09/06 to 01/07	5	29-03-07
82.	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) शहडोल	04/06 to 01/07	10	21-03-07
83.	वन संरक्षक शिवपुरी	04/06 to 12/06	9	21-02-07
		01/07 to 03/07	3	11-06-07
84.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) शिवपुरी	06/06 to 09/06	4	26-12-06
		10/06 to 01/07	4	23-03-07
85.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) गुना	04/06 to 07/06	4	18-10-06
		08/06 to 11/06	4	17-01-07
		12/06 to 02/07	3	21-05-07
86.	संचालक वन विद्यालय शिवपुरी	06/06 to 08/06	3	23-10-06
		10/06 to 12/06	3	16-02-07
		01/07 to 03/07	3	23-05-07
87.	वन संरक्षक कार्य आयोजना शिवपुरी	06/06 to 12/06	7	23-02-07

88.	संचालक माघव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	10/06 to 12/06	3	12-02-07
		01/07 to 03/07	3	11-05-07
89.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) अशोक नगर	04/06 to 09/06	6	12-01-07
		10/06 to 12/06	3	12-02-07
		01/07 to 03/07	3	12-06-07
90.	वन संरक्षक होशंगाबाद	04/06 to 08/06	5	27-10-07
		09/06 to 11/06	3	31-01-07
		12/06 to 02/07	3	30-05-07
91.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) होशंगाबाद	04/06 to 08/06	5	27-10-06
		09/06 to 11/06	3	31-01-07
		12/06 to 02/07	4	30-05-07
92.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) हरदा	04/06 to 08/06	5	02-11-06
		09/06 to 01/07	5	22-03-07
93.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) हरदा	04/06 to 08/06	5	10-10-06
		09/06 to 12/06	4	15-03-07
		01/07 to 03/07	3	25-05-07
94.	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) होशंगाबाद	04/06 to 02/07	11	22-05-07
95.	वन संरक्षक कार्य आयोजना होशंगाबाद	04/06 to 08/06	5	27-10-06
		10/06 to 02/07	5	24-08-07
96.	उप संचालक सतपुड़ा टाईगर पचमढी	06/06 to 12/06	7	15-02-07
97.	वन संरक्षक सिवनी वृत्त	04/06 to 03/07	12	12-06-07
98.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) सामान्य सिवनी	04/06 to 09/06	6	29-11-06
		10/06 to 02/07	5	26-04-07

99.	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) सामान्य सिवनी	04/06 to 09/06	6	29-11-06
		10/06 to 03/07	6	24-05-07
100.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) उत्पादन सिवनी	04/06 to 09/06	6	21-11-06
		10/06 to 12/06	3	12-02-07
		01/07 to 03/07	3	30-05-07
101.	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) उत्पादन सिवनी	04/06 to 09/06	6	21-11-06
		10/06 to 12/06	3	12-02-07
		01/07 to 03/07	3	30-05-07
102.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) सिवनी	04/06 to 12/06	9	12-02-07
		01/07 to 03/07	3	30-05-07
103.	वन संरक्षक कार्य आयोजना सिवनी	04/06 to 09/06	6	11-12-06
		10/06 to 02/07	5	09-04-07
104.	वन मण्डलाधिकारी नरसिंहपुर	04/06 to 09/06	6	04-12-06
		10/06 to 02/07	5	16-05-07
105.	उप वन संरक्षक पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी	04/06 to 09/06	6	23-11-06
		10/06 to 02/07	5	24-04-07
106.	उप वन संरक्षक पेंच टाईगर इको डबलमेन्ट सिवनी	04/06 to 09/06	6	23-11-06
		10/06 to 02/07	5	24-04-07
107.	संचालक राजीव गॉधी सहभागी प्रशिक्षण संस्थान लखनादौन	04/06 to 08/06	5	12-10-06
		10/06 to 02/07	5	29-04-07
108.	वन संरक्षक बैतूल	04/06 to 08/06	5	27-10-06
		09/06 to 11/06	3	16-01-07
		12/06 to 03/07	4	29-05-07

109.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) सामान्य बैतूल	04/06 to 09/06	6	14-11-06
		10/06 to 03/07	6	24-05-07
110.	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) सामान्य बैतूल	12/06 to 03/07	4	28-06-07
111.	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) सामान्य बैतूल	04/06 to 08/06	5	27-10-06
		09/06 to 12/06	4	06-03-07
		01/07 to 03/07	3	29-05-07
112.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) बैतूल	04/06 to 08/06	5	17-10-06
		09/06 to 12/06	4	09-02-07
		01/07 to 03/07	3	23-05-07
113.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) बैतूल	04/06 to 08/06	5	30-10-06
		09/06 to 01/07	5	04-04-07
114.	वन संरक्षक कार्य आयोजना बैतूल	04/06 to 08/06	5	17-10-06
		09/06 to 03/07	7	24-05-07
115.	संचालक वन विद्यालय बैतूल	04/06 to 08/06	5	27-10-06
		09/06 to 11/06	3	16-01-07
		12/06 to 03/07	4	29-05-07
116.	वन संरक्षक बालाघाट	04/06 to 06/06	3	26-10-06
		07/06 to 11/06	5	29-01-07
		12/06 to 03/07	4	12-06-07
117.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) सामान्य बालाघाट	04/06 to 11/06	8	31-01-07
		12/06 to 03/07	4	30-05-07
118.	वन मण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) बालाघाट	04/06 to 09/06	6	22-12-06
		10/06 to 12/06	3	14-03-07
		01/07 to 03/07	3	25-06-07

119.	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) उत्पादन बालाघाट	04/06 to 09/06 10/06 to 12/06 01/07 to 03/07	6 3 3	07-12-06 14-3-07 12-06-07
120.	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) उत्पादन बालाघाट	04/06 to 09/06 10/06 to 12/06 01/07 to 03/07	6 3 3	07-12-06 14-03-07 12-06-07
121.	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) उत्पादन बालाघाट	09/06 to 12/06 01/07 to 03/07	4 3	27-02-07 27-06-07
122.	वन संरक्षक कार्य आयोजना बालाघाट	04/06 to 12/06 01/07 to 03/07	9 3	12-03-07 27-06-07
123.	प्राचार्य वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट	04/06 to 09/06 10/06 to 12/06 01/07 to 03/07	6 3 3	20-11-06 26-02-07 14-06-07
124.	वन संरक्षक छिन्दवाड़ा	04/06 to 09/06 10/06 to 12/06 01/07 to 03/07	6 3 3	04-12-06 19-02-07 30-05-07
125.	वन मण्डलाधिकारी (पूर्व) सामान्य छिन्दवाड़ा	04/06 to 12/06	9	19-02-07
126.	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) सामान्य छिन्दवाड़ा	09/06 to 11/06 12/06 to 03/07	3 4	29-01-07 29-05-07
127.	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) सामान्य छिन्दवाड़ा	04/06 to 12/06 01/07 to 03/07	9 3	26-02-07 29-05-07
128.	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) उत्पादन छिन्दवाड़ा	06/07 to 11/06 12/06 to 03/07	6 4	31-01-07 30-05-07

129.	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) छिन्दवाड़ा	04/06 to 08/06	5	13-11-06
		09/06 to 11/06	3	29-01-07
		12/06 to 03/07	4	01-06-07
130.	वन संरक्षक कार्य आयोजना छिन्दवाड़ा	04/06 to 09/06	6	04-12-06
		10/06 to 12/06	3	19-02-07
		01/07 to 03/07	3	30-05-07
131.	वन संरक्षक जबलपुर	04/06 to 08/06	5	03-01-07
		09/06 to 03/07	7	30-05-07
132.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) जबलपुर	04/06 to 11/06	8	03-01-07
		12/06 to 03/07	4	30-05-07
133.	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) जबलपुर	04/06 to 12/06	9	12-03-07
134.	वन मण्डलाधिकारी सामान्य कटनी	04/06 to 02/07	11	16-04-07
135.	वन संरक्षक कार्य आयोजना जबलपुर	04/06 to 12/06	9	16-02-07
		01/07 to 02/07	3	29-05-07
136.	मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना जबलपुर	04/06 to 01/07	9	13-03-07
137.	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) सामान्य मण्डला	04/06 to 11/06	8	09-02-07
138.	वन मण्डलाधिकारी (पूर्व) सामान्य मण्डला	04/06 to 03/07	12	23-05-07
139.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) डिण्डोरी	06/06 to 03/07	10	29-05-07
140.	उप संचालक कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	04/06 to 06/06	3	21-09-06
		07/06 to 09/06	3	21-12-06
		10/06 to 12/06	3	28-02-07
		01/07 to 03/07	3	24-05-07
141.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) मण्डला	06/06 to 09/06	4	12-01-07
		10/06 to 03/07	6	01-06-07

142.	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) डिण्डोरी	06/06 to 09/06 12/06 to 03/07	5 4	13-11-06 29-05-07
143.	उप संचालक कान्हा टाईगर रिजर्व वफर जौन मण्डला	06/06 to 11/06 12/06 to 03/07	6 4	05-02-07 31-05-07
144.	वन संरक्षक ग्वालियर	05/06 to 12/06 01/07 to 03/07	8 3	21-02-07 13-06-07
145.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) ग्वालियर	04/06 to 09/06 10/06 to 03/07	6 6	07-11-06 29-05-07
146.	वन संरक्षक (अनुसंधान/ विस्तार) ग्वालियर	04/06 to 09/06 10/06 to 01/07	6 4	13-02-07 10-04-07
147.	वन संरक्षक कार्य आयोजना ग्वालियर	06/06 to 09/06 10/06 to 02/07	4 5	09-01-07 16-05-07
148.	वन मण्डलाधिकारी भिण्ड	06/06 to 09/06 10/06 to 02/07	4 5	04-12-06 18-05-07
149.	वन संरक्षक (वन्य प्राणी) सिंह परियोजना ग्वालियर	04/06 to 12/06 01/07 to 03/07	9 3	28-02-07 08-06-07
150.	वन मण्डलाधिकारी सामान्य दतिया	04/06 to 09/06 10/06 to 03/07	6 6	28-12-07 15-06-07
151.	वन मण्डलाधिकारी श्योपुरकलॉ सामान्य	04/06 to 09/06 10/06 to 12/06	5 3	04-12-06 08-02-07
152.	वन मण्डलाधिकारी कूनो वन्यप्राणी श्योपुर	04/06 to 11/06 12/06 to 03/07	8 4	29-01-07 29-05-07
153.	वन मण्डलाधिकारी मुरैना	06/05 to 11/06 12/06 to 02/07	6 3	24-01-07 16-04-07

154.	वन मंडलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) गुना	04/06 to 06/06	3	10-10-06
		07/06 to 11/06	5	17-01-07
		12/06 to 03/07	4	30-05-07
155.	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) खंडवा	04/06 to 06/06	3	15-09-06
		07/06 to 12/06	6	26-02-07
		01/07 to 03/07	3	30-05-07

लेखा अधिकारी

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम
म.प्र. ग्वालियर

परिशिष्ट “ग”

(कृपया कण्डिका 1.2.2 देखें)

वर्ष 2006–07 में विभागीय आंकड़ों का पुनर्मिलान महालेखाकार कार्यालय के आंकड़ों से न करने वाले कार्यालयों का विवरण पत्रक :-

क्र. स.	नाम कार्यालय	पुनर्मिलान हेतु लम्बित माह	माहों की कुल संख्या
1.	वन मण्डलाधिकारी पूर्व (सामान्य) छिन्दवाड़ा	01/07 to 03/07	3 माह
2.	वन संरक्षक कार्य आयोजना शिवपुरी	01/07 to 03/07	3 माह
3.	वन मंडलाधिकारी (सामान्य) श्योपुर	01/07 to 03/07	3 माह
4.	वन मंडलाधिकारी पश्चिम (सामान्य) मंडला	12/06 to 03/07	4 माह
5.	वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार जबलपुर	01/07 to 03/07	3 माह
6.	वन मंडलाधिकारी सामाजिक वानिकी उज्जैन	10/06 to 03/07	6 माह
7.	वन संरक्षक कार्य आयोजना, छतरपुर	02/07 to 03/07	2 माह
8.	वन मंडलाधिकारी दमोह	3 / 07	1 माह
9.	वन मंडलाधिकारी (सामान्य) भोपाल	3 / 07	1 माह
10.	वन मंडलाधिकारी (उत्पादन) सीहोर	10/06 to 03/07	6 माह

लेखा अधिकारी

परिशिष्ट "घ" (कृषक संख्या 1-3 दोनें)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म०प्र०

वन्य भवन, तुलसी नगर, भोपाल-462002

फोन 274208 वन्य 274209
ई-मेल pccr@mp.gov.in

8483

क्रमांक/बजट/दिनांक
प्रति,

भोपाल, दिनांक

क्षेत्र संचालक, पेघ/कान्हा/वाघवगढ़/पन्ना/सतपुड़ा टाईगर रिजर्व

वन संरक्षक एवं संचालक, माध्य/वन विहार राष्ट्रीय उद्यान

संचालक, संजय राष्ट्रीय उद्यान, साधो

उप संचालक, बकर जोन वन मंडल कान्हा

वनमंडलाधिकारी, कान्हा/नौरादेही वन्यप्राणी

वनमंडलाधिकारी (सामान्य), ओबदुल्लागंज/राजगढ़/भंडारी एवं देवास

विषय :-
संदर्भ:-

अग्नि सुरक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 का बजट आवंटन।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) का पत्र क्रमांक/एफ-14/
2006/ 10-10/3227 दिनांक 5.10.2006 के संदर्भ में।

—0—

अग्नि सुरक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिये अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा बजट आवंटन प्राप्त हुआ जिसके अनुसार, इस पत्र के साथ आपको बजट आवंटन कर प्रेषित किया जा रहा है। बजट आवंटन से अधिक व्यय कदापि न करें एवं कार्यों पर व्यय की प्रगति से हर माह इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- बजट आवंटन का पत्रक।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)

मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 21/10/06

पृ.क्रमांक/बजट/दिनांक
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) की ओर उसके पत्र क्रमांक/एफ-14/ 2006/ 10-10/3227 दिनांक 5.10.2006 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. महालेखाकार, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)

मध्यप्रदेश भोपाल

क्र. सं.	कार्य का नाम	अवधि/वर्ष का नाम (राशि लाख में)	बजट मद	कार्य का नाम	अवधि/वर्ष का नाम (राशि लाख में)	बजट
06(7882)	अग्नि सुरक्षा हेतु योजना का निष्पन्न	वन विभाग-रा030, भोपाल	10-2406(7882)	अग्नि सुरक्षा हेतु कार्य आयोजना का क्रियान्वयन	वन विभाग-रा030, भोपाल	10-24 कार्य आ क्रिय
	2	सिघोरी अभ्यारण्य		2	सिघोरी 2.60 अभ्यारण्य	
	3	नरसिंह 25 अभ्यारण्य		3	नरसिंह 25 अभ्यारण्य	
	4	रातापानी 85 अभ्यारण्य		4	रातापानी 85 अभ्यारण्य	
	5	संजया 10000 सीधी		5	संजया 10000 सीधी	
	6	कूनो 14500 सीधी वन मंडल रघोपुर		6	कूनो 14500 सीधी वन मंडल रघोपुर	
	7	सोन घाटियाल अभ्यारण्य		7	सोन 2300 अभ्यारण्य	
	8	सतपुर 33.25 रिजर्व		8	सतपुर 33.25 रिजर्व	
	9	गांधी सागर अभ्यारण्य		9	गांधी 2800 अभ्यारण्य	
		60.00 योग			60.00 योग	
64(2962)	अग्नि सुरक्षा हेतु वी का सुधार-12-मजदूरी	कान्हा 97000	64-2406(2962)	अग्नि सुरक्षा हेतु विगड़े वनों का सुधार-12-मजदूरी	कान्हा 97500	64-2406 विगड़े व सुधार-12
	11	कान्हा 3250 जोन		11	कान्हा 3250 जोन	
	12	बांधवगढ़ 40 टाइगर रिजर्व		12	बांधवगढ़ 40 टाइगर रिजर्व	
	13	पन्ना टाइगर रिजर्व		13	पन्ना 8400 रिजर्व	
	14	पंच टाइगर रिजर्व		14	पंच टाइगर 15 रिजर्व	
	15	नामघ 3000		15	नामघ 5050	
	16	नौरादेही 6500 वन मंडल		16	नौरादेही 6500 वन मंडल	
	17	खिवनी 3250 अभ्यारण्य		17	खिवनी 3250 अभ्यारण्य	
	18	कैन घाटियाल अभ्यारण्य		18	कैन घाटियाल अभ्यारण्य	
		60.00 योग			60.00 योग	

प्रधान निदेशक वन संरक्षण
(त.प्र.) भोपाल (त.प्र.)
A/C

प्रधान निदेशक वन संरक्षण
(त.प्र.) भोपाल (त.प्र.)
A/C



अंतर्गत 3877 क्षेत्रीय अनुसंधान 32 मांग संख्या 10-2406 वानिकी एवं कृषि प्राणी आयोग अंतर्गत 3877 क्षेत्रीय अनुसंधान 32 मांग संख्या 10-2406 वानिकी एवं कृषि प्राणी आयोग
 जट आवंटन (राशि हजार रु. में) मजदूरी उपभोग में वर्ष 2006-07 हेतु बजट आवंटन (राशि हजार रु. में) मजदूरी उपभोग में वर्ष 2006-07 हेतु ब
 177- 17 - 1 - 10 - 2406 - 01 - 101 - 2007 17 - 1 - 10 - 2406 - 01 - 101 - 2007

क्र.सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	आवंटित राशि (हजार रु.)	क्र.सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	आवंटित राशि (हजार रु.)
1	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र बैतूल	100	1	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र बैतूल	100
2	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र भोपाल	1500	2	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र भोपाल	1500
3	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र ग्यालियर	1450	3	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र ग्यालियर	1450
4	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र इन्दौर	200	4	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र इन्दौर	200
5	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र जबलपुर	1350	5	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र जबलपुर	1350
6	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र झाबुआ	200	6	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र झाबुआ	200
7	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र खंडवा	250	7	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र खंडवा	250
8	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र रतलाम	50	8	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र रतलाम	50
9	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र रीवा	450	9	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र रीवा	450
10	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र सागर	700	10	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र सागर	700
11	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र सिधौ	600	11	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र सिधौ	600
	योग :-	6850		योग :-	6850

मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)

मध्य प्रदेश भोपाल

मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)

मध्य प्रदेश भोपाल

अंतर्गत 3877 क्षेत्रीय अनुसंधान 37
 मांग संख्या 10-2406-01-161-2007
 मजदूरी उपभोग में वर्ष 2006-07 हेतु बजट आवंटन (राशि हजार रु. में)

क्र.सं.	राशि	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	क्र.सं.	राशि	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम
1	100	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र बैतूल	1	100	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र बैतूल
2	1500	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र भोपाल	2	1500	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र भोपाल
3	1450	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र ग्यालियर	3	1450	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र ग्यालियर
4	200	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र इन्दौर	4	200	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र इन्दौर
5	1350	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र जबलपुर	5	1350	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र जबलपुर
6	200	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र झाबुआ	6	200	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र झाबुआ
7	250	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र खंडवा	7	250	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र खंडवा
8	50	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र रतलाम	8	50	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र रतलाम
9	450	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र रीवा	9	450	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र रीवा
10	700	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र सागर	10	700	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र सागर
11	600	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र सिवनी	11	600	वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र सिवनी
	6850	योग :-		6850	योग :-

मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)

मध्य प्रदेश भोपाल

मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)

मध्य प्रदेश भोपाल

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

परिशिष्ट “च”

(कृपया कंडिका 1.12 देखें)

वर्ष 2006–07 में मुख्य शीर्ष 0406–01–800– “0237– क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण” के अन्तर्गत वन मण्डलवार प्राप्त राशियों का विवरण।

स.क्र.	वन मण्डल का नाम	राशि रूपये
1	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) सतना	47,17,952
2	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) सागर	35,973
3	वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) बैतूल	1,25,072
4	वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) बालाघाट	6,000
5	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) खरगोन	139
6	वन मण्डलाधिकारी अनूपपुर	737
	योग	48,85,873

लेखा अधिकारी

परिशिष्ट "छ"
(कृपया कंडिका 2.1 देखें)

वनमण्डल अधिकारियों की लेखापरीक्षा के दौरान जारी किये गये लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों प्रथम उत्तर प्राप्त न होने संबंधी विवरण वर्ष 2006-07 (व्यय शाखा)

क्र.	इकाई का नाम	ले.प.अवधि	नि.प्र.जारी होने का दिनांक	प्रथम उत्तर प्राप्ति का दिनांक	नियत दिनांक	विलंब की अवधि	
						माह	दिन
1	व.म.अ. (क्षे.) रायसेन	11 / 04 से 08 / 06	340-42 14.11.06	अप्राप्त	28.12.06	5	3
2	व.म.अ. (क्षे.) पूर्व छिन्दवाडा	04 / 05 से 06 / 06	224-26 31.07.06	अप्राप्त	15.09.06	8	15
3	व.म.अ. (क्षे.) उमरिया	12 / 04 से 08 / 06	41-45 06.06.06	अप्राप्त	21.07.06	10	11
4	व.म.अ. (क्षे.) दक्षिण सिवनी	01 / 04 से 03 / 06	50-51 14.06.06	अप्राप्त	28.07.06	10	4
5	व.म.अ. (क्षे.) दक्षिण शहडोल	02 / 05 से 03 / 06	48-49 13.06.06	अप्राप्त	27.07.06	10	5
6	व.म.अ. (उत्पा.) दक्षिण सिवनी	01 / 05 से 04 / 06	52-53 14.06.06	अप्राप्त	28.07.06	10	4
7	व.म.अ. (क्षे.) दक्षिण बालाघाट	03 / 04 से 04 / 06	101-102 07.07.06	अप्राप्त	21.08.06	9	11
8	व.म.अ. (क्षे.) उत्तर शहडोल	09 / 04 से 04 / 06	99-100 07.07.06	अप्राप्त	21.08.06	9	11
9	व.म.अ. (उत्पा.) दक्षिण बालाघाट	04 / 05 से 04 / 06	116-19 19.07.06	अप्राप्त	02.09.06	8	29
10	व.म.अ. (क्षे.) पश्चिम छिन्दवाडा	06 / 05 से 05 / 06	791-93 22.08.06	अप्राप्त	06.10.06	7	25
11	व.म.अ. (क्षे.) सीहोर	03 / 04 से 08 / 06	300-03 23.10.06	अप्राप्त	07.12.06	5	24
12	व.म.अ. (क्षे.) हरदा	04 / 05 से 09 / 06	369-23 17.11.06	अप्राप्त	01.01.07	5	00
13	व.म.अ. (क्षे.) अनूपपुर	11 / 03 से 09 / 06	366-68 17.11.06	अप्राप्त	01.01.07	5	00
14	व.म.अ. (सा.) होशंगाबाद	10 / 04 से 09 / 06	377-81 29.11.06	अप्राप्त	12.01.07	4	19
15	व.म.अ. (उत्पा.) सीहोर	05 / 04 से 10 / 06	407-10 18.12.06	अप्राप्त	27.01.07	4	5
16	व.म.अ. (उत्पा.) छिन्दवाडा	09 / 03 से 10 / 06	445-47 10.01.07	अप्राप्त	26.02.07	3	3
17	व.म.अ. (सा.) भोपाल	02 / 04 से	529-36	अप्राप्त	14.04.07	1	16

		01 / 06	27.02.07				
18	व.म.अ. (उत्पा.) बालाघाट	12 / 04 से 12 / 06	535-38 01.03.07	अप्राप्त	16.04.07	1	14
19	व.म.अ. (सा.) उत्तर सिवनी	12 / 04 से 12 / 06	517-20 22.02.07	अप्राप्त	08.04.07	1	22
20	वन संरक्षक राजधानी परि.भोपाल	10 / 05 से 12 / 06	548-50 07.03.07	अप्राप्त	21.04.07	1	10
21	व.म.अ. (क्षे.) दक्षिण विदिशा	05 / 04 से 04 / 07	544-47 06.03.07	अप्राप्त	20.04.07	1	26
22	व.म.अ. (सा.) उत्तर पन्ना	12 / 04 से 06 / 06	254-57 22.09.06	अप्राप्त	04.11.06	6	4
23	व.म.अ. (सा.) उत्तर टीकमगढ	01 / 04 से 07 / 06	275-77 11.10.06	अप्राप्त	26.11.06	5	20
24	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) सागर	02 / 02 से 08 / 06	314-16 27.10.06	अप्राप्त	11.12.06	4	17
25	व.म.अ. (उत्पा.) देवास	05 / 05 से 09 / 06	385-88 29.11.06	अप्राप्त	14.01.07	5	20
26	व.म.अ. (सा.) नीमच	11 / 02 से 09 / 06	382-84 29.11.06	अप्राप्त	14.01.07	4	17
27	व.म.अ. (सा.) झाबुआ	06 / 05 से 10 / 06	411-14 18.12.06	अप्राप्त	02.02.07	3	26
28	व.म.अ. (सा.) रतलाम	11 / 02 से 10 / 06	442-44 03.01.07	अप्राप्त	17.02.07	3	11
29	वन संरक्षक (अनुसं/ विस्तार) रतलाम	03 / 02 से 10 / 06	432-34 27.12.06	अप्राप्त	10.02.07	3	18
30	व.म.अ. (सा.) शाजापुर	12 / 02 से 11 / 06	479-81 29.01.07	अप्राप्त	15.03.07	2	16
31	व.म.अ. (सा.) छतरपुर	05 / 05 से 12 / 06	508-11 21.02.07	अप्राप्त	07.04.07	1	23
32	व.म.अ. (सा.) सतना	02 / 05 से 05 / 06	222-23 30.08.06	अप्राप्त	14.10.06	7	17
33	व.म.अ. (उत्पा.) बैतूल	09 / 05 से 06 / 06	235-38 07.09.06	अप्राप्त	22.10.06	7	9
34	व.म.अ. (सा.) उत्तर बैतूल	11 / 04 से 07 / 06	272-74 10.10.06	अप्राप्त	25.11.06	6	5
35	व.म.अ. (सा.) पश्चिम मण्डला	05 / 04 से 08 / 08	316A4031A 18(A)19(A) 30.10.06	अप्राप्त	14.12.06	5	17
36	मुख्य वन संरक्षक विकास भोपाल	03 / 04 से 08 / 06	308-10 26.10.06	अप्राप्त	03.12.06	5	28
37	व.म.अ. (उत्पा.) मंडला	12 / 04 से 08 / 06	323-326 02.11.06	अप्राप्त	17.12.06	5	14
38	अपर प्र.मु.व.सं.(उत्पा)	01 / 04 से	347-350	अप्राप्त	28.12.06	5	3

	भोपाल	08 / 06	14.11.06				
39	व.म.अ. (सा.) पश्चिम बैतूल	09 / 05 से 08 / 06	343-46 14.11.06	अप्राप्त	28.12.06	5	3
40	व.म.अ. (सा.) पूर्व मंडला	12 / 03 से 09 / 06	363-65 17.11.06	अप्राप्त	01.01.07	5	0
41	व.म.अ. (सा.) पूर्व सीधी	11 / 04 से 10 / 06	467-70 18.01.07	अप्राप्त	03.03.07	2	28
42	व.म.अ. (सा.) पश्चिम सीधी	06 / 05 से 10 / 06	436-38 278.12.06	अप्राप्त	11.02.07	3	17
43	व.म.अ. (सा.) बडवानी	11 / 05 से 11 / 06	476-78 25.01.07	अप्राप्त	11.03.07	2	20

44	व.म.अ. (सा.) जबलपुर	06 / 04 से 11 / 06	472-75 25.01.07	अप्राप्त	11.03.07	2	20
45	व.म.अ. (सा.) डिण्डौरी	06 / 05 से 12 / 06	512-16 21.02.07	अप्राप्त	06.04.07	1	24
46	प्रधान मु.व.सं. भोपाल	02 / 05 से 12 / 06	533-34 01.03.07	अप्राप्त	15.05.07		24
47	व.म.अ. (उत्पा.) डिण्डौरी	06 / 05 से 12 / 06	525-27 26.02.07	अप्राप्त	10.04.07		16
48	व.म.अ. (सा.) कटनी	05 / 03 से 04 / 06	90-91 04.07.06	अप्राप्त	18.08.06	1	29
49	व.म.अ. (सा.) रीवा	11 / 04 से 10 / 06	467-70 18.01.07	अप्राप्त	01.03.07	9	0
50	वन सं. (अनु/विस्ता.) भोपाल	03 / 02 से 08 / 06	327-28 02.11.06	अप्राप्त	16.12.06	5	15

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

परिशिष्ट "ज"

(कृपया कण्डिका 2.1.1 देखें)

(वर्ष 2006–07 के अन्त में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कण्डिकाओं का विवरण)

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कण्डिकाओं की संख्या	राशि (लाख रूपयों में)
90–91	168	652	124.16
91–92	09	19	141.72
92–93	06	07	255.04
93–94	14	15	527.68
94–95	29	34	606.50
95–96	48	49	996.23
96–97	53	57	508.45
97–98	53	128	4583.76
98–99	44	82	2661.15
99–2000	40	56	8308.49
2000–01	69	110	6659.69
2001–02	48	80	1921.55
2002–03	95	368	12345.88
2003–04	37	47	8016.85
2004–05	53	171	5384.55
2005–06	51	201	10630.97
2006–07 upto 9/06	15	70	3595.55
Total	832	2146	67268.22
Opening Balance	831	2144	67501.96
Addition	1	5	58.84
Clearance	.	3	292.58
कुल	832	2146	6768.22

लेखा अधिकारी

परिशिष्ट "अ"

(कृपया कंडिका 2.2.1 देखें)

लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर प्राप्त न होने संबंधी विवरण
(Revenue Branch)

क्र.	इकाई का नाम	ले.प.अवधि	नि.प्र.जारी होने का दिनांक	प्रथम उत्तर प्राप्ति का दिनांक	प्रथम उत्तर प्राप्त होने का दिनांक	विलंब की अवधि	
						माह	दिन
1	DFO (G) Tikamgarh	01 / 04 से 07 / 06	480-81 25.09.06	अप्राप्त	28.12.06	06	23
2	DFO (G) Sehore	03 / 4 से 08 / 06	561-65 27.10.06	अप्राप्त	15.09.06	05	23
3	DFO (G) Raisen	11 / 04 से 08 / 06	602-03 08.11.06	अप्राप्त	21.07.06	05	12
4	DFO (Production) Sehore	05 / 4 से 10 / 06	715-16 18.12.06	अप्राप्त	28.07.06	04	02
5	DFO (G) Vidisha	05 / 04 से 01 / 07	983-85 09.03.07	अप्राप्त	27.07.06	01	11
6	DFO (G) South Seoni	01 / 04 से 03 / 06	159-60 08.06.06	अप्राप्त	28.07.06	10	11
7	DFO (P) South Seoni	02 / 05 से 03 / 6	173-74 21.06.06	अप्राप्त	21.08.06	09	29
8	DFO (P) South Balaghat	03 / 04 से 04 / 06	225-26 13.07.06	अप्राप्त	21.08.06	09	07
9	DFO (Production) Mandla	12 / 04 से 08 / 06	595-98 07.11.06	अप्राप्त	02.09.06	05	13
10	DFO (G) West Mandla	05 / 04 से 08 / 06	558-60 20.10.06	अप्राप्त	06.10.06	04	29
11	DFO (G) East Mandla	12 / 03 से 09 / 06	607-08 17.11.06	अप्राप्त	07.12.06	05	03
12	DFO (P) West Chhindwada	09 / 03 से 10 / 06	768-771 05.01.07	अप्राप्त	01.01.07	03	13
13	DFO (G) Barwani	11 / 05 से 11 / 06	801-802 19.01.07	अप्राप्त	01.01.07	03	01
14	DFO (G) South Chhindwada	12 / 04 से 11 / 06	805-06 22.01.07	अप्राप्त	12.01.07	02	28
15	DFO (G) Jabalpur	06 / 04 से 11 / 06	857-858 05.02.07	अप्राप्त	27.01.07	02	12
16	DFO (G) Dindori	06 / 05 से 12 / 06	937-38 23.02.07	अप्राप्त	26.02.07	01	28
17	DFO (P) North	12 / 04 से	969-70	अप्राप्त	14.04.07	01	18

	Balaghat	12 / 06	05.03.07				
18	DFO (P) Dindori	06 / 05 से 12 / 06	971-72 05.03.07	अप्राप्त	16.04.07	01	14
19	DFO (G) Umaria	12 / 04 से 03 / 06	133-34 13.05.06	अप्राप्त	08.04.07	11	07
20	DFO (G) South Shahdol	02 / 5 से 04 / 06	161-62 09.06.06	अप्राप्त	21.04.07	10	12
21	DFO (G) North Shahdol	09 / 04 से 04 / 06	206-07 06.07.06	अप्राप्त	20.04.07	09	15
22	DFO (G) Satna	02 / 05 से 05 / 06	355-58 12.09.06	अप्राप्त	04.11.06	07	10
23	DFO (G) Harda	04 / 05 से 09 / 6	599-600 03.11.06	अप्राप्त	26.11.06	05	18
24	DFO (G) Anoopur	11 / 03 से 09 / 06	612-613 17.11.06	अप्राप्त	11.12.06	05	03
25	DFO (G) Shajapur	12 / 02 से 11 / 06	784-85 16.01.07	अप्राप्त	14.01.07	03	04
26	DFO (G) Rewa	11 / 4 से 10 / 06	796-98 17.01.07	अप्राप्त	14.01.07	03	03
27	DFO (G) Jhabua	06 / 5 से 10 / 06	696-99 13.12.06	अप्राप्त	02.02.07	04	16
28	DFO (G) Ratlam	11 / 02 से 10 / 06	701-703 14.12.06	अप्राप्त	17.02.07	04	06

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्य प्रदेश ग्वालियर
परिशिष्ट "झ"

(कृपया कण्डिका 2.1.3 देखें)

वर्ष 2006-07 के अंत तक लम्बित हानि प्रकरणों का विवरण पत्रक:-

वर्ष	राशि	संख्या	समायोजित राशि	संख्या	शेष राशि	संख्या
1975-76	1785880	111	10281	1	1775599	110
1976-77	निरंक	निरंक	—	—	—	—
77-78	170612	18	—	—	170612	18
78-79	515105	36	24837	1	487268	35
79-80	452018	31	808	1	451210	30
80-81	498659	43	—	—	498659	43
81-82	353762	50	—	—	353762	50
82-83	371076	29	—	—	371076	29
83-84	837159	10	—	—	837159	10
84-85	144140	5	—	—	144140	5
85-86	43408	1	—	—	43408	1
86-87	75069	1	75069	1	—	—
87-88	3854038	111	15547	1	3838491	110
88-89	3523952	202	24365	2	3499627	200
89-90	1867107	247	38568	3	1828539	244
90-91	3351898	112	25185	2	3326713	110
91-92	2151662	98	42878	9	2108784	89
92-93	5314026	103	20769	2	5293257	101
93-94	4278541	90	22736	4	4255805	86
94-95	2052172	61	21933	5	2032239	56
95-96	3089510	71	—	—	3089510	71
96-97	3399099	91	17740	2	3381359	89
97-98	4556541	140	85099	10	4471442	130
98-99	27965340	131	46613	7	27918727	124
99-2000	7355630	98	24646	3	7330984	95
2000-01	4620343.54	102	182387	12	4437956.54	90
2001-02	2247621.48	56	86816	8	2160805.48	48
2002-03	7005731.23	45	10500	1	6995231.23	44
2003-04	4923029	40	134266	21	4788763	19
2004-05	2693116	50	389552	29	2303564	21
2005-06	7473121	74	252246	21	7220875	53
2006-07	8811126	59	—	—	8811126	59
योग	—	—	—	—	114226690	2170

लेखा अधिकारी

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
म.प्र.ग्वालियर

परिशिष्ट- "ट"

(कृपया कंडिका 2.2.1 देखें)

मार्च 2007 के अन्त तक विभिन्न वन कार्यालयों के राजस्व प्राप्तियों की स्थानीय लेखा परीक्षा के लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्षवार विवरण

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	राशि(रूपये लाखों में)
1976-77	1	1	16.46
1977-78	1	1	5.40
1979-80	3	4	16.10
1982-83	2	3	8.63
1983-84	2	8	13.16
1984-85	4	6	19.35
1985-86	10	19	246.50
1986-87	10	20	61.60
1987-88	12	30	457.22
1988-89	22	39	261.94
1989-90	16	22	181.09
1990-91	19	27	283.51
1991-92	20	38	220.11
1992-93	11	30	294.86
1993-94	21	40	611.59
1994-95	31	66	849.20
1995-96	39	104	1080.61
1996-97	35	65	1418.08
1997-98	36	92	2215.37
1998-99	22	39	779.40
1999-2000	14	38	4218.98
2000-01	39	113	11624.58
2001-02	45	105	9222.34
2002-03	61	155	20871.83
2003-04	42	121	7879.14
2004-05	27	83	11528.56
2005-06	43	102	31394.09
2006-07	16	48	4616.22
योग	604	1419	110345.92

लेखा अधिकारी

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुलग्नक "ठ"
(कृपया कंडिका 2.2.3 देखें)

वर्ष 2006–07 में जारी किये गये प्रारूप कंडिका की सूची
Revenue Side

S.No.	D P No	Subject	Amount (Rs in Lakh)	Para no/unit period	Dispatch No
1	6.4	Non Realization of supervision charges for compensatory Afforestation	60.34	D.F.O. (G) Shivpuri	<u>111-113</u> 08-05-07
2	6.3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आस्था मूलक एवं मानव संसाधन विकास का प्रावधान न करना।	107 ^२ 23	वन मंडलाधिकारी (सामान्य) शिवपुरी	<u>120-122</u> 09-05-07
3	6.2	म.प्र. राज्य वन विकास निगम से से देय, लीजरेन्ट का निर्धारण एवं वसूली न होना।	3817.37	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) भोपाल कंडिका क्रमांक 1 1/2004 से 8/2006	<u>127-129</u> 10-05-07
4	6.5	Loss of interest of Rs. 18.40 crore due to non depositing the net present value and compenstalion Amount in fixed deposit's	18.40 (Crore)	पी.सी.सी.एफ. भू प्रबन्धन भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर जारी	<u>240-242</u> 06-07-07

Expenditure Side

5	D.P. 1	Exeess Payment of Rs. 54-15 lakhs on Account of Share of Benefit paid to Joint Forest menagment commttees	54.15 lakhs	व.म.अधिकारी सामा. हरदा कंडिका ।	<u>80-82</u> 10-05-07
6	D.P.2	Irregular Expenditure on Purches of Cement	108.00 Lakhs	व.म.अधिकारी दक्षिण बैतूल एवं पश्चिम बैतूल पैरा 1 एवं 2	<u>375-380</u> 01-08-07

लेखा अधिकारी